


कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-2183-246 दिनांक

17/12/2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला


पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

2183-246

दिनांक

17/12/2020

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी कांगड़ा, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	1- घणा	1-तरसूह	---	---				
	2-रतियाड	2-रजियाणा खास			1-थाना खास	1- राजल	1-अनसोली	1-कोहाला
	3-लंज खास	3-पलेरा			2-भटेड़ वूसल	2- तकीपुर	2-नंदेहड़	2-घुरकड़ी
					3-सलोल	3--खोली	3-कछियारी	3-ठानपुरी
					4-सोहड़ा	4- मटौर	4-रजियाणा 53मील	4-जोगीपुर
							5-बीरता	5- हलेडकलां
							6-भाटी	6-सदरपुर
							7-कुल्थी	7-दौलतपुर
							8-वलोल	8-हार जलाडी
							9-वालूगलोआ	9-जनयान कड़
							10-रानीताल	10-समेला
							11-गाहलियां	11-धमेड
							12-अप्पर लंज	12-चन्दरोट
							13-नंदरूल	13-चकवन घीण
							14-वोहड़क्वालू	14-भंगवार
							15-तरखानकड़ा	15-मोरठ जसाई
							16-अब्दुलापुर	16-डडोली
							17-झिकली इच्छी	17- ठाकुरद्वारा
							18-कन्दरेहड	18-चकबन समीरपुर
							19-तियारा	19- जमानाबाद
						20-ललेहड़	20- समीरपुर खास	



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)

उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21247-305 दिनांक

17/12/

2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21247-305 दिनांक 17/12/ 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु ।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें ।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा में
ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	1-बाग कुलजां	1-हलेड़	---	---	1-भगेतर	1-बालकरुपी	1-आलमपुर	1-बंदाह
	2-बरडाम	2-कोटलू			2-चम्बी	2-बीजापुर	2-आशापुरी	2-बड़
	3-ठण्डोल	3-मझेड़ा			3-नाहलना	3-जैसिंहपुर	3-घनीरी	3-दगोह
	4-हरोट	4-पपलाह			4-तलवाड़		4-गंदड़	4-धुपकियारा
	5-जगरुप नगर	5-रिट					5-जलेट	5-द्रम्मण
	6-जांगल	6-सोल बनेहड़					6-कोसरी	6-हारसी
	7-कुडंग	7-सुआ					7-कूहन	7-काथला
	8-सरी	8-अप्पर ठेहड़					8-लम्बागांव	8-जालग
	9-अप्पर लम्बागांव						9-मैला	9-कर्णघट
							10-मोलग	10-लाहड़
							11-मुंगल	11-मतियाल
							12-टम्बर	12-सकोह
								13-संघोल



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21306-362 दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-


21306-362

दिनांक

17/12/

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु ।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें ।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	1-सरोत्री	1-अम्बाड़ी	---	---	1-लूहना	1-रुमेहड़	1-सुन्ही	1-खावा
	2-उस्तेहड़	2-सेराथाना			2-बग गुलेहड़	2-सुनेहड़	2-सदू	2-दनोआ
	3-चाहड़ी				3-मस्सल	3-भुनेड़	3-एरला	3-कण्डी
					4-पटियालकड़		4-जलोट	4-अमतराड़
							5-सरुट	5-मलां
							6-टोरु	6-उपरली मझेटली
							7-पलाह चकलू	7-बलधर
							8-ब्राना	8-जसौर
							9-हटवास	9-कवाड़ी
							10-कलेड	10-ठारु
							11-रौंखर	11-मूंदला
							12-धलूं	12-कोठी झिकली
							13-रिन	13-कीर चम्बा
							14-लिल्ली	14-सिहूंड
							15-मुमता	15-पठियार
							16-घोड़व	16-लाखा मण्डल
							17-सलाह जन्द्राह	17-मुहालकड़
								18-खर्टखास



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21042-93 दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21042-21093 दिनांक
प्रतिलिपि:-

17/12/


2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु ।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें ।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	1-अरला	1-गोपालपुर	1-उपरला डाढ	1-कलूण्ड	1-सलोह	1-कस्बा जुगेहड़	1-पुन्नर	1-धोरन
	2-फरेड़	2-दराटी	2-चंदपुर	2-बल्ला	2-सिद्धपुर सरकारी	2-भट्टू समूला	2-भवारना	2-रुमेहड़
	3-नछीर	3-घाड़	3-द्रोगणू	3-हंगलोह	3-लाहला	3-टप्पा	3-भड़गवार	3-डाढ झिकला
	4-लमलेहड़	4-मलाहू	4-जिया खास	4-मैझा			4-चचियां	4-बड़सर
							5-घनेटा	5-परौर
							6-दैहण	6-आरठ झिकली
							7-राख	7-कोठी पाहड़ा
							8-थला उआरला	8-बगोड़ा
							9-दरंग	9-कुशमल भगोटला
							10-ठण्डोल	10-गदियाड़ा


 राकेश कुमार प्रजापति (मा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21363-427 दिनांक

17/12

2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।

राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)

उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

21363-427

दिनांक

17/12

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	1-डोल भटेड़	1-पददर	1-सिहुणी	1-आम्बल ठेहडू	1-सकरी	1-भलाड़	1-सोलदा	1-जांगल
	2-गुलेर	2-पलोहड़ा	2-भाली	2-न्यांगल	2-भटेहड़	2-नरगाला	2-कोठी बण्डा	2-मसरर
	3-बासा	3-त्रिलोकपुर			3-धार	3-बनतुंगली	3-नन्दपुर भटोली	3-पनालथ
	4-कोटला	4-घाड़-2			4-स्पेल	4-अमलेला	4-रजोल	4-जरोट
	5-जरपाल	5-हार					5-नाणा	5-धंगड़
	6-ढन	6-भलूं					6-धेवा	6-लुदरेट
							7-जोल	7-गदूतर
							8-बिलासपुर	8-फारियां
							9-लुधियाड़	9-कथौली
							10-नगरोंटा सूरियां	10-बेही पठियार
							11-मरियाना	11-कुठेहड़
							12-नढोली	12-सुकनाड़ा
							13-हरसर	13-घाड़ बनियाल
							14-खब्बल	14-लाहडू
							15-कटोरा	15-मतलाहड़
							16-कैहरियां	



उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 20966-21041 दिनांक

17/12/2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड सुलह जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।

राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 20966-21041 दिनांक

17/12/2020


प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी सुलह, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड सुलह जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	1- कुरल	1- कुहाना (डैई)	-	-	1- जैद	1- वल्ला	1- क्यारवां	1- भौरा
	2-हैजा	2- खडुल सोरनु			2- मालनू	2- लाहट	2- मनसिम्बल	2-वछवाई
	3-खैरा वलूही	3- खडोट			3- छैछड़ी	3-डरोह	3-चौकी	3-भदरोल
	4-कौना	4-खास गगल			4- साम्बा	4-खैरा	4-सुलह	4-घराणा
	5-डूहक	5-सिहोल			5- झरेट	5-रैपुर	5-रोडा	5-डई
	6-थुरल (काना सुआं)	6-वाहे दा पट्ट					6-खडुहल (चौदड़ बमियाल)	6-देवी
							7-वोदा	7-बसकेहड़
							8-मरुंह	8-रङ्गू
							9-चम्बी	9-नौरा
							10-जमूला	10-रडा
							11-बलोटा	11-पुड़वा
							12-सिहोटू	12-ककडै
							13-भौडा	13-मलकेहड़
							14- ननाओ	14-गदियाड़ा
							15- गढ	15-गरला
							16- वारी	16-मूंडी
							17- गगल	17-भ्रांता
							18- पनापर	18-धम्मण लाहड़
							19- काहनपट्ट	19-वैरघट
							20- थुरल खास	20-सन्हू
							21- वटाहन	21-स्पडुल
							22- बलोह	22-धीरा



 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21544-604 दिनांक 17/12/ 2020


"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21544-604 दिनांक 17/12/ 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा में
ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	1-बदूही	1-जाछ	1-मिझग्रां	1-बागनी	1-चरुड़ी	1-कुलाहण	1-डन्नी	1-बासा बजीरा
	2-पंदरेहड़	2-हडल	2-गेही लगोड़		2-नागणी	2-खन्नी उपरली	2-कोपड़ा	2-अनोह
	3-कमनाला	3-खेल			3-अघार	3-हटली जमवाला	3-खैरियां	3-कोटपलाहड़ी
	4-पंजाहड़ा	4-भडवार			4-मिलख	4-छतरोली	4-बरुही	4-सदवां
	5-पक्का टियाला	5-कण्डवाल					5-खन्नी झिकली	5-ग्योरा
	6-रिट उपरली						6-जसूर	6-सुखार
							7-भलून	7-घनेटी गारला
							8-थोड़ा	8-सुल्ल्याली
							9-लदोड़ी	9-लोहारपुरा
							10-औन्द	10-सिम्बली
							11-खज्जन	11-ममूह गुरचाल
							12-भलेटा	12-हाथीघार
							13-पुन्दर	13-नागाबाड़ी
							14- ठेहड़	14-बासा
								15-बरण्डा



उपायुक्त,


कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21428-498 दिनांक 17/12/2020


“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21428-498 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1-रक्कड़ का बाग	1-अनसूई	1-भनाला	1-कैरी	1-डढम्ब	1-घरोह	1-भितलू	1-अम्बाड़ी
	2-बसनूर	2-बैदी	2-मैटी	2-सददू	2-नागनपट्ट	2-लांझणी	2-बौड़ूसारना	2-बागडू
	3-गोरड़ा	3-भडीयाडा	3-हरनेरा	3-कजलोट	3-नेरटी	3-सराह	3-चढी	3-बन्डी
	4-हारबोह	4-भरुपलाहड़	4-सुधेड़		4-रजोल	4-ततवानी	4-दरीणी	4-भलेड
	5-मंझग्रां	5-कलियाडा			5-ठारु		5-दरगेला	5-डोहब
	6-मनेई	6-प्रगोड़					6-ढुगियारी	6-हारचक्कियां
	7-मंझग्रां (लदवाडा)	7-झरेड़					7-कनोल	7-रावा
	8-रछियालू						8-करेरी	8-कुठमां
							9-कुठारना	9-लपियाणा
							10-पलौथा	10-मकरोटी
							11-रैत	11-मूंदला
							12-रेहलू	12-मेहरना
							13-रिड़कमार	13-प्रेई
							14-रुलेहड़	14-सनोरा
								15-सिहुम्बा
								16-ठेहड़



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-

21499-543


दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड पंचरूखी जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-


21499-543

दिनांक

17/12/


2020

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड पंचरूखी जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	1- ब्याड़ा	1-भिरड़ी	1- पढियारखर	1- सलियाणाखास	1- अन्द्रेटा	1-रक्कड भेडी	1- भरवाना	1- अगोजर
	2-चढियार	2-भुआणा			2-रजोट	2-तरेहल	2- वंडू	2-वदेहड
	3-दियोग्रां	3-छेक			3-अप्पर रजोट		3-चन्द्रोपा	3-भुलाना
	4-जण्डपुर	4-सलेहरा					4-गदियाड़ा	4-सिम्बल खोला
	5-मोलीचक	5-द्रुग					5-लदोह	5-सिम्बल
	6-सगूर	6-कैलाशपुर					6-नौरी झिकली	6-टटैहल
	7-टिक्कर खास	7-मकोल					7-सुंगल	7-वण्ड विहार


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21778 -866 दिनांक

17/12/

2020


“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21778-866 दिनांक 17/12/ 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा में
ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	1-गुरनवाड़	1-सेहरी	---	---	1-गरली	1-ढौण्टा	1-प्रागपुर अप्पर	1-पुननी
	2-रिड़ी कुठेडा	2-चपलाह			2-हलेड़	2-चनौर	2-बगली	2-समनोली
	3-कोटला बेहड़	3-कस्बा जागीर			3-बठरा	3-नाहन नगरोटा	3-घमरुर	3-बैह
	4-चौली	4-अप्पर भलवाल			4-सुनहेत	4-कौलापुर	4-कटोह टिक्कर	4-दोदूं राजपूता
	5-मनियाला	5-लग			5-गोरालधार	5-कनोल	5-बाड़ी	5-कुड़ना
	6-रैल	6-पीर सलूही			6-न्याड़	6-कूहना	6-लडियाड़ा	6-घाटी
	7-बलियाणा	7-अमरोह					7-चुधरेहड़	7-मूही
	8-दयाल	8-भरोली जदीद					8-बढल	8-स्वाणा
	9-चलाली	9-उझे खास					9-नंगल चौक	9-बड़ा
	10-कड़ोआ	10-गुडारा चपलाह					10-नारी	10-जन्डोर
							11-अलोह	11-भुनेड़
							12-घियोरी	12-शांतला
							13-निचला भलवाल	13-नलेटी
							14-जम्बल	14-बस्सी
							15-त्यामल	15-धजाग
							16-डाडासीबा	16-प्रागपुर
							17-नलसूहा	17-दोदरा
							18-कलोहा	18-बीहण
							19-बणी	19-रोड़ी कोड़ी
							20-रक्कड़	20-सियूल
							21-ढलियारा	21-बढूह
							22-कस्बा कोटला	22-सरड़ डोगरी
							23-हार	23-टिप्परी
							24-गंगोट	



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21605-680 दिनांक

17 | 12 |

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21605-680
प्रतिलिपि:-

दिनांक

17 | 12 |

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु ।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें ।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा में
ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन- जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	1-बनोली खास	1-बगड़ोली	--	--	1-बाड़ी	1-कुटवासी	1-बरोट	1-वरुणा
	2-डक	2-चकवाड़ी			2-मनोह सिहाल	2-पट्टा जाटियां	2-चलवाड़ा-1	2-भरमाड़
	3-खरोटा	3-भाटियां			3-रे	3-स्थाना	3-चलवाड़ा-2	3-हाड़ा
	4-पोलियां	4-झौंका रतियाल			4-हटपंग	4-ढसोली	4-धमेटा	4-जगनोली
	5-सिद्धपुरघाड़	5-सुनेट			5-रैहन-1	5-नेरना	5-दियाना	5-झुम्बखास
	6-लुठियाल	6-सुनहारा					6-फतेहपुर	6-खटियाड़
							7-हडवाल	7-कुड़डल
							8-हरनोटा	8-लोहारा
							9-हटली	9-मच्छोट
							10-जखाड़ा	10-मैरा
							11-बट्ट	11-नगाल
							12-समकेहड़	12-नंगल
							13-ठेहड़	13-पपाहन
							14-टटवाली	14-टकोली घिरथां
							15-लारथ	15-भोलखास
							16-गुरियाल	16-समलेट
							17-रियाली	17-छतर
							18-डूहक	18-खेहर
							19-लरहूं	19-छतर जोगियां
							20-रैहन-2	20-मिन्ता
							21-तलाड़ा	21-कन्दौर
							22-बतराहन	22-गोलवां




उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21681-740 दिनांक 17/12/2020


"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21681-740 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायतें	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	1- मझोटी	1-कुकैना	1-घोडपीठ	1-नैण	1-टिकरी डूहकी	1-मझैरना	1-पंजाला	1-संसाई
	2-मढेड	2-दयोल	2-हरेड	2-धानग	2-वण्डियां	2-रजेहड	2-कन्द्राल	2-कोटी
	3-चौबीन	3-धरेड	3-भट्टू	3-माधोनगर	3-महांकाल	3-फटाहर	3-सकडी	3-गदियाड़ा
	4-नरघोड चौवू	4-क्योरी	4-गुनेहड	4-सुनपुर	4-कुंसल	4-महालपट्ट	4-धरमाण	4-वही
	5-पोलिंग	5-ननाहर					5-संसाल	5-स्पैडू
	6-भेठ झिकली	6-लुआई					6-कोटी कोहड	6-वीड
	7-सेहल						7-स्वाड	7-वडाभंगाल
							8-मुलथान	8-कुदेल
							9-वडाग्रां	9-कण्ड
							10-चौगान	10-खडानाल
							11-अवैरी	

राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)

उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21741-777 दिनांक 17/12/2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21741-777 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी धर्मशाला, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1- पद्धर	1-तंगरोटी खास	1-अन्द्राड	1-भत्तला	1-ढगवार	1-रसेहड़	1-रक्कड	1-सोकणी दा कोट
	2-शीला भटेड़	2-टंग नरवाणा	2-कण्ड करडियाना	2-सुक्कड़	2-तंगरोटी	2-मनेड़	2-नरवाणा खास	2-झियोल
							3-कनेड़	3-मन्दल
							4-वगली	4-वरवाला
							5-गगल	5-चैतड़
							6-वल्ला जदरांगल	6-वाघनी
							7-टउ	7-पंतेहड पासू
							8-जूहल	


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला


कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21094-182 दिनांक

17/12/2020


"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21094-182 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु ।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें ।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	1-ठठलेहड़	1-घुरकाल	--	--	1-जलधर लाहड़	1-भटेड़बासा	1-टिप	1-कमलोटा
	2-मयोल	2-रजोल			2-धनोट	2-नेहरवां	2-शिवनाथ	2-गाहलियां
	3-गुगाणा	3-सुराणी			3-घेड़	3-खबली	3-लगडू	3-बनखण्डी
	4-उम्मार	4-मूहल			4-अलूहा	4-थिल	4-धतेड़	4-बंगोली
	5-हडोली	5-भटोली फकोरियां			5-सिलह	5-भाटी बोहन	5-झकलेहड़	5-हरिपुर
	6-फकेड़	6-सलिहार			6-सिहोरपाई	6-सकड़ियालू	6-कोपड़ा	6-खुण्डियां
	7-खैरियां	7-दरंग					7-बलसूं दरकाटा	7-नाहलियां
	8-ठाकुरद्वारा	8-भडोली					8-महेवा	8-पुखरु
	9-बग						9-डेहरु	9-पीहड़ी
							10-अध्वानी	10-टिप्परी
							11-कथोग	11-दरीण
							12-शेर लुहारा	12-टिहरी
							13-घलोर	13-डोहग देहरियां
							14-धवाला	14-घरना
							15-अम्ब पठियार	15-छिलगा
							16-बौंगता	16-घलोड़ा
							17-हिरन	17-लुथान
							18-मझीण	18-बारी कलां
							19-सियालकड़	19-कल्लर
							20-डोल खरियाना	20-नौशहरा
							21-हरदीपपुर	21-बाड़ी खास
							22-गुम्मर	22-पाईसा खास
							23-जरुण्डी	23-सिहोटीखुर्द
							24-बरोग लाहड़	24-जखोटा
							25-डोहग पलोटी	25-त्रिपल




उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21867-929 दिनांक 17 | 12 | 2020


“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21867-929 दिनांक 17 | 12 | 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1-बडूखर	1-भोग्रवां	---	---	1-रप्पड़	1- डमटाल	1-पलाख	1-टप्पा
	2-लोधवां	2-घोड़न			2-माजरा	2-राजाखासा	2-डैकवां	2-अटाहड़ा
	3-डाह कुलाड़ा	3-भलाख			3-तौकी	3-चनौर	3-गगवाल	3-गंगथ
	4-मलाहड़ी	4-सूरजपुर			4-भप्पू	4-ठाकुरद्वारा	4- भदरोआ	4-छन्नी
	5-दीणी खास	5-सनौर					5-मंगवाल	5- चलोह
	6-उलैहरियां	6-घंडरां					6-डागला	6-बलीर
	7-बकराड़वां	7-मीलवा					7-मंदोली	7-शेखपुर
							8-बेली महंता	8-काठगढ़
							9-सिरत	9-इन्दौरा
							10-मोहटली	10-कंग्रेड़ी
							11-कुड़सां	11-गदराणा
							12-इन्दपुर	12-मकड़ोली
							13-सुरड़वां	13-घेटा
							14-मलकाना	14-बसंतपुर
							15-पराल	15-मण्ड मियाणी
							16-बरोटा	



उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला